

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।

संख्या:

दिनांक जुलाई, 2020

आदेश

जिलाधिकारी, गाजीपुर के पत्रांक 4975/आ0लि0-1/2020 दिनांकित 09-07-2020 के अनुसार मुहल्ला नवापुरा, कचहरी थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर की एक महिला टू-नॉट कोविड टेस्ट में कोरोना पाजिटिव रिपोर्ट के कारण पाजिटिव व्यक्ति के मकान से 250 मीटर परिधि को हॉटस्पाट/कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। विद्यमान परिस्थितियों में जनपद न्यायालय, गाजीपुर कंटेनमेंट जोन की परिधि में आता है। अतः मुख्यालय स्थित जनपद न्यायालय, गाजीपुर कंटेनमेंट परिधि में आने के कारण अग्रिम आदेश तक बन्द कर दिया गया है। इस अवधि में नियत वादों की सामान्य तिथियाँ निम्नवत निर्धारित की जाती है-

S.No.	Cases Listed On	General Date Fixed
1	10-07-2020	18-08-2020
2	13-07-2020	19-08-2020
3	14-07-2020	20-08-2020
4	15-07-2020	21-08-2020
5	16-07-2020	24-08-2020
6	17-07-2020	25-08-2020
7	18-07-2020	26-08-2020
8	20-07-2020	27-08-2020
9	21-07-2020	28-08-2020
10	22-07-2020	29-08-2020
11	23-07-2020	01-09-2020
12	24-07-2020	02-09-2020
13	27-07-2020	03-09-2020
14	28-07-2020	04-09-2020
15	29-07-2020	05-09-2020

जमानत व अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई न्यायालय खुलने पर की जाएगी।  
समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाय।

जनपद न्यायाधीश,  
गाजीपुर।

पत्रांक- 2023(iii)/XV

दिनांक- 10.07.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जनपद न्यायालय, गाजीपुर
- 2-अध्यक्ष/महासचिव, समस्त बार एसोसिएशन, गाजीपुर
- 3-सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 4-जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर
- 5-पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर
- 6-मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर
- 7-जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु
- 8-जेल अधीक्षक, गाजीपुर
- 9-केन्द्रीय नाजिर को जनपद न्यायालय, गाजीपुर एवं सिविल बार एसोसिएशन, गाजीपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

जनपद न्यायाधीश,  
गाजीपुर।

Raghuwanshi  
10/7/20